



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय

राजस्व विभाग म.प्र. निगरानी 1673-I-15

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्र. :- 31/2015

परमानंद अहिस्वार पुत्र लक्ष्मण उर्फ लछुआ अहिस्वार

निवासी बौरी तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र हाल
निवासी MIG-55 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वैशाली नगर
के सामने, कोटय सुलतानाबाद भोपाल तहसील हुजूर
जिला भोपाल म.प्र, मोबाइल क्र. 9893055952

...पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

शासन म.प्र

...अनावेदक

क्रमांक 5819
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 24-6-15 को प्राप्त
राजस्व मंडल म.प्र. अलियर

प्रथम राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.स.

सहिता विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़

जिला टीकमगढ़ म.प्र राजस्व प्र. क्र. 47/अपील/2014-15

दिनांक 01-05-2015 से व्यथित होकर

महोदय,

आर्थी पुनरीक्षणकर्ता ने तहसीलदार टीकमगढ़ के राजस्व प्रकरण क्र. 26/a-3/2013-14 प्रकरण अंतर्गत धारा 178 म.प्र.भू.सं में पारित आदेश दिनांक 30-04-2014 से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की थी। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय ने पारित त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष में हस्तक्षेप न कर अवधि बाहर मान्य कर निरस्त की है जिससे व्यथित होकर पुनरीक्षण कर्ता द्वारा निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

पुनरीक्षण के आधार

1- यह कि पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय नियम न्याय एवं विधि सिद्धांतों के भारी विपरीत है एवं स्थिर रहने योग्य नहीं है।

R/S

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.1673-I.115 जिला यकमगढ़

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अग्निभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 24.10.16 | <p>आदेश के बाबत कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।</p> <p>आदेश के अंतर्गत कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।</p> <p>निर्दिष्ट रकम को जमा करके संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।</p> <p>यदि कोई भी समस्या आती है तो संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।</p> <p>आदेश के अंतर्गत कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।</p> <p>आदेश के अंतर्गत कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।</p> <p>आदेश के अंतर्गत कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।</p> | <p>[Handwritten signature]</p> |

R. 1673